प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 14.06.2025

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा पूर्व में बेहटा नहर के पास एक सूटकेस में अज्ञात महिला का शव मिलने की घटना में शेष वांछित 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया।

दिनांक 10.06.2025 की सुबह को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में बेहटा नहर के पास एक हरे रंग के सूटकेस में अज्ञात महिला के शव मिलने के सम्बन्ध में थाना लोनी बोर्डर पर वादी द्वारा एक किता तहरीर दी गयी। तहरीर के आधार पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना लोनी बोर्डर पर मु0अ0सं0 370/25 धारा 103(1)/238 बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा उक्त घटना के सफल अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया एवं अज्ञात शव की शिनाख्त हेतु दिल्ली के सीमावर्ती थानों एवं आस-पास के थानों में गश्ती तलाश जारी कर शिनाख्त का प्रयास किया गया एवं डीसीआरबी एवं सोशल मीडिया के माध्यम से शिनाख्त हेतु प्रयास किये गये। गठित टीमों द्वारा स्थानीय सीसीटीवी कैमरों, मैनुअल इनपुट व अन्य सम्भावित सोर्सों की मदद ली गयी। दिनांक 12.06.2025 को थाना लोनी बोर्डर पुलिस को सफलता हाथ लगी एवं उक्त अज्ञात घटना का सफल अनावरण कर अज्ञात महिला की शिनाख्त श्रीमती कविता पत्नी सागर नि0 शिव विहार गली न0 3 अम्बिका विहार थाना करावल नगर दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष के रुप में हुई एवं उक्त महिला की हत्या कारित करने वाले 03 अभि0गणों 1. हरवीर सिंह पुत्र सेठराम नि0 शिव विहार गली न0 3 अम्बिका विहार थाना करावल नगर दिल्ली 94 उम्र करीब 52 वर्ष 2. सुमित पुत्र हरवीर सिंह नि0 उपरोक्त उम्र करीब 22 वर्ष 3.गुड्डू पुत्र हरवीर सिंह नि0 उपरोक्त उम्र 18 वर्ष को दिनांक 12.06.25 को गिरफ्तार किया जा चुका है। विवेचना के दौरान अभियुक्त सागर पुत्र हरवीर, विमलेश पत्नी हरवीर सिंह, शिवानी पुत्री हरवीर सिंह, करन पुत्र हरवीर सिंह के नाम प्रकाश में आये एवं धारा 61(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा दिनांक 13.06.2025 को घटना में वांछित चल रहे अभि0गण 1. सागर पुत्र हरवीर सिंह निवासी नि0 शिव विहार गली न0 3 अम्बिका विहार थाना करावल नगर दिल्ली 94 उम्र करीव 22 वर्ष 2. विमलेश पत्नी हरवीर सिंह निवासी नि0 शिव विहार गली न0 3 अम्बिका विहार थाना करावल नगर दिल्ली 94 उम्र करीब 48 वर्ष 3.शिवानी पुत्री हरवीर सिंह निवासी नि0 शिव विहार गली न0 3 अम्बिका विहार थाना करावल नगर दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया जा चुका है।

आज दिनांक 14.06.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना में वांछित चल रहे बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

बाल अपचारी ने पूछताछ के दौरान बताया कि मृतका कविता की मेरे भाई सागर से लव मैरिज हुई थी तभी से कविता आये दिन हम लोगों को छोटी-छोटी बातों को लेकर परेशान करती रहती थी काफी समझाने के बावजूद उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया हम उसकी रोज-रोज की लड़ाई झगडे से परेशान हो चुके थे और हम इसकी हरकतों से परेशान आकर छुटकारा पाना चाहते थे तभी हम परिवार वालों ने एक

षडयंत्र करके इसकी हत्या कर दी और षडयंत्र के तहत दिनांक 09.06.25 को कविता का झगड़ा भाई सुमित के साथ हो गया था, सुमित ने कविता को धक्का मारकर बैड पर गिरा दिया और कविता की गर्दन सुमित ने चुन्नी से दबा दी थी और जिस बैडशीट से सूटकेस बांधा था उसी बैडशीट को मृतका के मुंह पर रखकर दम घोंट दिया था और पिता हरवीर ने आकर कविता के पैर पकड कर दबा लिये थे, जब तक वह मर नहीं गयी तब तक सुमित उसकी गर्दन दबाता रहा था उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बहन शिवानी ने मोटरसाईकिल का इंतजाम किया था, उसी मोटरसाईकिल पर रखकर पिता हरवीर व भाई गुड्डू सूटकेस में कविता की लाश को ले गये थे। उस समय शिवानी व मैं घर पर ही मौजूद थे। भाई सागर व माता विमलेश देवी ईंट के भट्टे खड़खड़ी में काम कर रहे थे और लगातार सभी लोग सम्पर्क में थे। कविता की लाश को ठिकाने लगाने के बाद परिवारीजन सागर के पास उसकी बेटी को लेकर भट्टे पर चले गये थे एवं सागर व माता विमलेश को सारी बात बतायी थी।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

बाल अपचारी के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा अवैध देशी शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 23 टैट्रा पैक मार्का मिस इंडिया देशी शराब बरामद।

आज दिनांक 14.06.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के साथ अभियुक्त बुद्ध प्रकाश पुत्र खचेडू नि0 ग्राम नेकपुर साबित नगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 58 वर्ष को रावली सुराना रोड से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 23 टैट्रा पैक मार्का मिस इंडिया देशी शराब बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर आबकारी अधिनियम की धारा 60(1) आब0 अधि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं चोरी-छिपे देशी शराब खरीद कर लाया था और मुनाफा कमाने के लिये आते-जाते लोगों को बेच रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

बुद्ध प्रकाश पुत्र खचेडू नि0 ग्राम नेकपुर साबित नगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 58 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

23 टैट्रा पैक मार्का मिस इंडिया देशी शराब बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 19.05.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि अम्बेडकर कॉलोनी बेहटा हाजीपुर में दो पक्षों में झगडे के दौरान फायरिंग की घटना हुई है जिसके संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर धारा 191(2)/191(3)/190/125/109/351(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस उपरोक्त घटना में वांछित 03 अभियुक्तगण 1.पीयूष उर्फ पीले पुत्र सुनील निवासी प्रधान वाली गली बेहटा हाजीपुर दरगाह मस्जिद के पास थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष 2. अमन पुत्र संजीत कुमार निवासी बेहटा हाजीपुर वार्ड नम्बर 4 नियर पाण्डे की चक्की थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष 3. गौरव पुत्र हरिपाल निवासी बेहटा हाजीपुर वार्ड नम्बर 4 नियर पाण्डे की चक्की थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद स्थायी पता सी 364 न्यू सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 33 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

दिनांक 13.06.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्त विशाल पुत्र प्रेम सिंह निवासी अम्बेडकर कॉलोनी 25 फुटा रोड बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त विशाल ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम लोग अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे तभी हमारा आपस में झगडा हो गया था जिसमें पीयूष ने फायरिंग कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तग का नाम व पता-

विशाल पुत्र प्रेम सिंह निवासी अम्बेडकर कॉलोनी 25 फुटा रोड बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर आयुध अधिनियम/हत्या का प्रयास/छिनैती के 04 अभियोग पंजीकृत हैं तथा थाना कविनगर में छिनैती/बरामदगी का 01 अभियोग तथा थाना मधुबन बापूधाम पर

आयुध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है व उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

गौकशी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही

श्रीमान पुलिस उपायुक्त ग्रामीण जोन, कमि0 गाजियाबाद श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध नियंत्रण हेतु थाना भोजपुर पर समाज विरोधी क्रियाकलापो में लिप्त 11 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलापों (निवारण) अधि0 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त कार्यवाही से अपराध व आपराधिक गतिविधियों में अकुंश लगेगा।

गिरोह सरगना रमजानी ने अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह बना रखा है। इस गिरोह की सक्रियता अन्तर्राज्यीय है व इस गिरोह द्वारा वर्ष 2017 से गौकशी व गोवंश तस्करी जैसे अपराध कारित कर धन व अवैध सम्पत्ति अर्जित की गयी है। इस गैंग के सदस्यों के विरुद्ध 70 से अधिक आपराधिक अभियोग पंजीकृत है। इस गिरोह द्वारा पूर्व में प्राप्त जमानत का उल्लंघन करते हुए गिरोह द्वारा अग्रेतर अपराध किया गया है।

गौकशी की घटनाएं कारित कर अनुचित तरीके से धनोपार्जन करने वाले उक्त गिरोह के विरुद्ध थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0 153/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलापों (निवारण) अधि0 1986 बनाम निम्नोत्त पंजीकृत कराया गया व इनके अवैध क्रिया कलापों से अर्जित की गयी सम्पूर्ण सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

क्र0सं0	अभियुक्त का नाम व पता	पंजीकृत गैंग	कुल पंजीकृत अभियोगों की संख्या
1	रमजानी पुत्र तौसीफ नि0 ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद	गौकशी/आयुध जैसे अपराधों से संबंधित डी – 352/2025	8
2	जाजू पुत्र दोषू नि0 ग्राम भोजपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद	गौकशी/आयुध जैसे अपराधों से संबंधित डी – 352/2025	2
3	मारुफ उर्फ काले पुत्र फारुख नि0ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद	गौकशी /आयुध जैसे अपराधों से संबंधित डी – 352/2025	3
4	हनीफ पुत्र सफाकत नि0 ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद	गौकशी/एनडीपीएस एक्ट/आयुध /गैंगस्टर जैसे अपराधों से संबंधित डी – 352/2025	7
5	अब्दुल पुत्र अलीहसन नि0 ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद	गौकशी /आयुध/लूट/गैंगस्टर जैसे अपराधों से संबंधित	6

		डी – 352/2025	
6	नाजिम पुत्र अलीहसन नि0ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद	गौकशी/आयुध /चोरी /लूट जैसे अपराधों से संबंधित डी – 352/2025	10
7	महताब पुत्र तौसीफ नि0 ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद	गौकशी /आयुध/गैंगस्टर जैसे अपराधों से संबंधित डी – 352/2025	7
8	रोशन पुत्र वकील निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद	गौकशी/एनडीपीएस एक्ट /आयुध जैसे अपराधों से संबंधित डी – 352/2025	7
9	मुस्तफा उर्फ भुल्ली पुत्र आसक निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद	गौकशी/आयुध/गैंगस्टर जैसे अपराधों से संबंधित डी – 352/2025	10
10	हबीब पुत्र सफाकत नि0ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद	गौकशी/आयुध/गैंगस्टर जैसे अपराधों से संबंधित डी – 352/2025	9
11	अभि0 मौ0 जावेद पुत्र मौ0 हारुन निवासी जामा मस्जिद गेट नं0 1 मटियामैल बाजार थाना जामा मस्जिद दिल्ली	गौकशी जैसे अपराधों से संबंधित डी – 352/2025	2

ग्रामीण जोन के थाना लोनी, थाना ट्रोनिका सिटी व थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध की गई कार्यवाही।

श्रीमान पुलिस उपायुक्त ग्रामीण जोन, कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध नियंत्रण हेतु थाना लोनी, थाना ट्रोनिक सिटी व थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ कमाने हेतु अपराध करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध धारा- 111/112 बीएनएस व 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किये गए। उक्त कार्यवाही से अपराध व आपराधिक गतिविधियों में अकुंश लगेगा।

1. थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा संगठित होकर सट्टा व अवैध शराब की तस्करी की घटनाएं कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से सट्टा-पर्ची, कापी, पेन व 2270 रुपये बरामद।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर सट्टा लगाने वाला अभियुक्त आरिफ पुत्र ताहिर खान निवासी खन्नानगर पुलिस चौकी के पीछे, खन्नानगर थाना अंकुर विहार जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष को कुरैशियन कब्रिस्तान वाला 20 फुटा रोड अशोक विहार लोनी से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से सट्टा खिलाने में प्रयुक्त

सट्टा पर्ची, कापी, पेन व 2270 रुपये बरामद हुए। अभियुक्त के विरुद्ध धारा-111/112 बीएनएस व 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया है, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग</u>

अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से थाना लोनी पर आबकारी अधिनियम व मारपीट/बलबा के 02 अभियोग पंजीकृत है तथा धारा- 111/112 बीएनएस व जुआ अधिनियम के अंतर्गत 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

2. **थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा शातिर गैम्बलर अपराधी जो संगठित होकर जुआ सट्टा की खाई बाडी करके आर्थिक लाभ कमाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से सट्टा-पर्चा व नगद 2480 रूपये बरामद।**

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा जुआ सट्टे जैसे अपराध में संलिप्त जो संगठित होकर चोरी छुपके जुआ सट्टे की खाई बाडी करके आर्थिक लाभ कमाने वाले शातिर अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाया गया। उक्त अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर संगठित होकर जुआ सट्टा की खाई बाडी करके आर्थिक लाभ कमाने वाले शातिर गैम्बलर सुशान्त सिंह चौहान उर्फ एसपी चौहान सिंह पुत्र स्व0 हरज्ञान उम्र करीब 44 वर्ष नि0 आजाद एन्कलेव पूजा कालोनी जीवन गेट के पास थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद को चौकी क्षेत्र पुस्ता से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से सट्टा पर्चा, पेन, पाकेट डायरी व नगद 2480 रूपये बरामद हुए। अभियुक्त के विरुद्ध धारा- 111/112 बीएनएस व 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया है, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-</u>

अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से थाना ट्रोनिका सिटी पर जुआ/सट्टा की खाई बाडी करने के सम्बन्ध में व धमकी देकर आत्महत्या के उकसाना के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है तथा धारा- 111/112 बीएनएस व जुआ अधिनियम के अंतर्गत 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

3. **थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा शातिर गैम्बलर अपराधी जो संगठित होकर जुआ सट्टा की खाई बाडी करके आर्थिक लाभ कमाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से सट्टा पर्चा व नगद 1770 रूपये बरामद।**

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा जुआ सट्टे जैसे अपराध मे संलिप्त जो संगठित होकर चोरी छुपके जुआ सट्टे की खाई बाडी करके आर्थिक लाभ कमाने वाले शातिर अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाया गया। उक्त अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर संगठित होकर जुआ सट्टा की खाई बाडी करके आर्थिक लाभ कमाने वाले शातिर गैम्बलर सुमित पुत्र केशपाल निवासी ग्राम टीला शहबाजपुर थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र करीब 37 वर्ष को चौकी क्षेत्र सेवाधाम से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 12 सट्टा पर्चा , नगद 1770 रूपये बरामद हुये। अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम व धारा -111/112 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-</u>

अभियुक्त के विरुद्ध थाना टीला मोड पर आबकारी अधिनियम/मारपीट के 02 अभियोग तथा थाना साहिबाबाद में गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना लोनी बॉर्डर पर जुआ अधिनियम व धारा- 111/112 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्तगण उपरोक्त व उनके अन्य साथियों का संगठित गिरोह है जो अपने गिरोह के सदस्यों को बदल-बदल कर करीब 10 वर्षो से संगठित अपराध किया जा रहा था जिनके विरूद्ध भारत के नये कानून की धारा- 111/112 बीएनएस व 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।